राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 908/2019

गणपत लाल स्वामी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (अपराध शाखा), सी.आई.डी., सीबी राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रशासन)/अध्यक्ष, चयन बोर्ड सीआईडी सीबी, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) सीआईडी, सीबी, जयपुर।
4. नानगचंद पुत्र भूल्लूराम यादव, हैड कांस्टेबल, सीआईडी सीबी, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.04.2019
आदेश की दिनांक : 10.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की सीमा तक निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14, 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध सी.आई.डी. सीबी कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर चयन किया जावे तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध समस्त लाभ दिए जावे, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को दिए गए हैं तथा समस्त पारिणामिक लाभों पर एरियर पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान दिए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जनवरी, 1995 में की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.1995 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2012–13 की हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 वर्ष 2012–13 की हैड कांस्टेबल के पद की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 28.10.2015 को उत्तीर्ण घोषित किया। परंतु वरिष्ठता में अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम नहीं आने के कारण अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नत नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल की लिखित परीक्षा आयोजित की, जिसमें अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भाग लिया, जिसमें अपीलार्थी दिनांक 26.11.2015 में उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अनुतीर्ण घोषित किया गया। इसलिए निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम सम्मिलित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 के द्वारा वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक की चयन सूचियां रिव्यू होने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार सीआईडी सीबी में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों का पुनः निर्धारण करने पर पूर्व चयन सूचियों को रिव्यू करने पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 लिखित परीक्षा में अनुतीर्ण होने के बावजूद तथा आउटडोर व साक्षात्कार में भाग नहीं लेने के बावजूद वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी समस्त प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के बावजूद वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, जो अवैध व अनुचित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की सीमा तक निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को भी वर्ष 2013–14, 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध सी.आई.डी. सीबी कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर चयन किया जावे तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध समस्त लाभ दिए जावे, जो निजी

प्रत्यर्थी संख्या 4 को दिए गए हैं तथा समस्त पारिणामिक लाभों पर एरियर पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान दिए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 10.04.2019 के आदेश में वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल का एक पद रिक्त रखे जाने का आदेश दिया गया है जबकि विभाग द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 26.03.2019 माननीय उच्च न्यायालय की आदेशों की पालना में जारी किया गया है। विभाग द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद की पदोन्नति वर्ष 2016–17 तक की जाकर पद भरे जा चुके हैं। वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं हैं तथा वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक पूर्व में पदोन्नत हैड कांस्टेबल का रिव्यू किया जाकर मात्र पदोन्नत वर्ष जूनियर किया गया है तथा आगे कथन किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2012–13 व 2013–14 की समस्त प्रक्रिया में उत्तीर्ण घोषित किया गया था, परंतु वरिष्ठता में नहीं आने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक पूर्व में पदोन्नत हैड कांस्टेबल का रिव्यू किया जाकर पदोन्नत किया गया है तथा जिस परीक्षा में प्रार्थी अनुतीर्ण होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 में क्रम संख्या 97 महेन्द्र सिंह पुत्र मगन सिंह वर्ष 2014–15 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था तथा वर्ष 2015–16 की रिक्तियो के विरूद्ध न तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और न ही अन्य प्रक्रिया में उक्त वर्ष के विरूद्ध उत्तीर्ण हुआ है, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद वर्ष 2015–16 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है। आलोच्य आदेश में क्रम संख्या 100 पर आत्माराम वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध बिना लिखित परीक्षा व आउटडोर उत्तीर्ण किए बिना पदोन्नत किया गया है तथा क्रम संख्या 75 पर भीमराव ने वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित किया गया था। इसलिए भीमराव का नाम उक्त सूची में नहीं है। परंतु वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भीमराव का हैड कांस्टेबल के पद पर उक्त वर्ष में चयन किया गया है तथा आलोच्य आदेश में क्रम संख्या 85 पर आशा यादव वर्ष 2014–15 की हैड कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित की गई। परंतु आलोच्य आदेश में

वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया तथा क्रम संख्या 86 सांवरमल भी वर्ष 2014–15 की हैड कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में अनुतीर्ण होने के बावजूद वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आलोच्य आदेश में क्रम संख्या 100 से 110 को वर्ष 2014–15 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी वर्ष 2012–13 व 2013–14 में संपूर्ण प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के बावजूद अपीलार्थी को उक्त वर्ष में या बाद के वर्षों में पदोन्नत नहीं किया गया तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ को बाद के वर्षों में पदोन्नत किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जनवरी, 1995 में की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 के द्वारा वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक की चयन सूचियों को रिव्यू होने के फलस्वरूप हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। जहां तक अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत नहीं किए जाने एवं जो कार्मिक जिस वर्ष के विरूद्ध उन्हें पुनरावलोकन के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है और उस वर्ष में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 26.03.2019 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री नानकचंद पुत्र श्री भूल्लू राम को पुनरावलोकन के आधार पर वर्ष 2013–14 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसी प्रकार भीमराव लोचिव को वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। सांवरमल एवं श्रीमती आशा यादव को वर्ष 2014–15 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई है। जबकि उक्त कार्मिक संबंधित रिक्ति वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 (क्रमशः) के विरूद्ध हुए योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं पाए गए, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के विरूद्ध हुए योग्यात्मक परीक्षा में भाग लिया, फिर भी उसे पुनरावलोकन के आधार पर हैड कांस्टेबल के पद

पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जिसमें नियम विरूद्धता परिलक्षित होती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पुनरावलोकन के आधार पर जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से हैड कांस्टेबल के पद पर उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य